संख्या 306 /XIV–1/ 2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (सामान्य) की धनराशि निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 659/जि0यो0/रा0यो0आ0/2008 दिनांक 17.4.2008, पत्र सख्या 624/जि0यो0/रा0 यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.3.2008, एवं प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 267/XXVII (1)/2008 दिनांक 27.3.2008 तथा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 57/नियो0/जिला योजना/ 2008–09 दिनांक 03.04.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 276.13 लाख रू0 (रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार रू0 मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं विभागीय प्रस्ताव के पूर्ण परीक्षणोपरान्त प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जारी करेंगे।

(2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(3) सभी कार्यक्रमों/ योजनाओं की मासिक /वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण कर लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत की जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को शासन तथा वित्त/ नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों/योजनाओं में किया जाय, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है, यदि उसका उपयोग किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित स्वीकृताधिकारी उसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) जिलाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि माहवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप एव प्रपत्र में सम्बन्धित मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 5 तारीख को उपलब्ध करायेंगे जिसे मण्डलायुक्तों द्वारा मुख्य सचिव को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलायुक्त प्रतिवेदन की प्रति नियोजन/ वित्त एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को भी पृष्ठाकिंत करेंगे।

(6) उक्त व्यय समय समय पर जारी शासन/ वित्त विभाग के सुसंगत आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि किसी ऐसे कार्यों/ मद पर व्यय न की जाय जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा

बजट मैनुअल के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो अथवा शासन /सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो।

(7) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष स्तर से व्यय विवरण सहित शासन /महालेखाकार उत्तराखण्ड को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी जाय।

(9) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 24.3.2008 एवं 27.3.2008 तथा सहकारी समितियों को अनुदान /राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभागीय नियमों, मानकों /शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनमें आगणन की तकनीकी जांच जिला स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) के परीक्षणोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जायेगी।

उक्त व्यय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में अनुदान संख्या –18 आयोजनागत के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा–

भवदीय

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या 304(1)/XIV–1/ 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कूमांऊ उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड ।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश सं. 306/XIV-1/08 दि. 28 अप्रैल/2008 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु जनपदो से प्राप्त जिला योजना के आधार पर जिला योजना हेतु निर्धारित/उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदो को स्वीकृति प्रदान कर हेतु लेखाशीर्षकवार धनराशियो का आबटन का विवरण

योजना/मद का नाम	नैनीताल	उ0सि0नगर	अल्मोडा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	देहरादून	हरिद्वार	पौड़ी	टिहरी	चमोली	रुद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	योग
अनुदान सं. 18 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2425–सहकारिता –आयोजनागत														
107– केड़िट सहकारी समितियों को सहायता														
91–सह0ऋण योजना, 9101–पैक्स के सचिवो के वेतन हेतु कामन कैडर को अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	4.49	0.00	29.45	2.75	34.23	19.38	7.07	0.00	32.80	6.45	23.70	11.80	15.84	187.96
9103–महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिए अनु0 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.24	0.24	1.64	0.00	0.00	0.00	2.62
108–अन्य सहकारी समितियो को सहायता														
03–सहकारी विभाग की सहकारी उप0 समितियो को सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.55	0.20	1.55	0.00	0.25	0.05	0.90	0.80	0.25	0.00	0.00	3.55	0.70	8.80
800– अन्य व्यय														
07–प्रा0 सह0 ऋण समि0 को हानियो की प्रतिपूर्ति हेतु अनु0 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2.00
08–प्रा0 कृषि सहकारी ऋण समितियो को मिनी बैंक की स्था0 हेतु प्रबन्धकीय एंव साज–सज्जा अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.20	0.70	1.00	0.00	5.50	1.40	0.00	2.40	4.00	1.64	1.00	1.30	2.40	21.54
21–सहकारी क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियो को वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	9.56	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2.00	2.46	5.74	0.00	0.00	18.45	52.21
योग–	15.20	3.90	33.00	2.75	39.98	31.33	7.97	5.44	40.75	15.47	24.70	17.25	37.39	275.13
4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 200–अन्य निवेश 05–महिला बचत समूहो को मार्जिन मनी 30–निवेश/ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
योग–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
महायोग–	15.20	3.90	33.00	2.75	39.98	32.33	7.97	5.44	40.75	15.47	24.70	17.25	37.39	276.13

(… पाल सिंह)
अनु सचिव
सहकारिता, मत्स्य, चीनी विभाग
उत्तराखण्ड शासन